भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1092

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों को निधियां

†1092. **श्री सी. एन. अन्नादुरई:**

श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधियां प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2023-2024 से 2024-2025 के लिए इस हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय परिव्यय कितना है;

(घ) तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) देश में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): शिक्षा एक ऐसा विषय है जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधान के एक अधिनियम द्वारा की जाती है, वे संबंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं तथा मौजूदा राज्य उच्च शिक्षा संस्थान की समग्र गुणवत्ता में सुधार हेतु विकास निधि का प्रावधान मुख्यतः उस राज्य सरकार की चिंता का विषय होता है।

बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान, कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान, नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) और लैंगिक समावेश और समानता पहल जैसे विभिन्न घटकों के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार करने की दृष्टि से केंद्र

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि हेतु 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण शुरू किया है।

पीएम-उषा के तहत, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, उनकी पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्न सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले आदि जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है।

उक्त योजना के तहत विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 5613.12 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ 440 इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तमिलनाडु ने राज्य में पीएम-उषा को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पिछले चरणों के तहत तमिलनाडु राज्य के 09 राज्य विश्वविद्यालयों और 22 कॉलेजों को निधियां जारी की गई हैं।
(ङ): उच्च शिक्षा में, विभिन्न परिवर्तनकारी बदलावों में अति आवश्यक छूट आधारित विकल्प प्रदान करना, विषयों के रचनात्मक संयोजन की अनुमति देना, विविध अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), बहु प्रवेश/निकास के माध्यम से छात्रों के लिए समतुल्यता और गतिशीलता स्थापित करना; भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और पुस्तकें/पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करना; 13 भारतीय भाषाओं में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) जैसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना; शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के प्रशासन और अभिशासन हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग; शिक्षार्थियों को युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन (स्वयम्) प्लेटफॉर्म से 40% तक क्रेडिट पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करना; इंटर्नशिप हेतु उद्योग अकादमिक सहयोग तथा उद्योग और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विकसित करना, उद्योग-अनुरूपी पाठ्यक्रम प्रदान करना; भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को क्रमशः विदेश और भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ाना; शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करना, आदि शामिल हैं।

*****